५०

न्यायालय उप जिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा

दावा संख्या 146 / 11

निर्णय दिनांक 22.06.17

उनवानः– 1. रामकरण गूर्जर
2. फूलचन्द गूर्जर
3. बद्री गूर्जर पिसरान रूघनाथ गूर्जर निवासी अभयपुरा तहसील चौथ का बरवाडा

बनाम

1. लेण्ड होल्डर तहसीलदार चौथ का बरवाडा

प्रार्थी की ओर से श्री सुधीर कुमार जैन, एड.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज. लेण्ड रेवन्यू एक्ट

पत्रावली राजस्व लोक अदालत एवं न्याय आपके द्वार केम्प टापुर में पेश हुई। प्रकरण में संक्षिप्त सारांश अनुसार प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम अभयपुरा के खसरा नम्बर 37 / 124 रकबा 5 बीघा 11 विस्वा भूमि प्रार्थीगण के पिताजी श्री रूघनाथ गूर्जर के नाम दिनांक 13.08.70 को नियमन हुई थी। जिसका नामान्तरकरण संख्या 131 दिनांक 20.5.86 को नायब तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा तस्दीक किया जा चुका है। संवत् 2040–43 की जमाबन्दी में उक्त नामान्तरकरण का अमल होकर प्रार्थीगण के पिताजी के नाम खातेदारी दर्ज हो गई थी। सेटलमेन्ट विभाग ने उक्त खसरा नम्बर के नवीन नम्बर 21 रकबा 0.65 है0, 22 रकबा 0.60 है., 23 रकबा 0.13 है0 बनाकर संवत् 2040–43 की जमाबन्दी को अनदेखा कर प्रार्थीगण के पिता के नाम से खातेदारी भूमि को सिवायचक लगानी दर्ज कर दी गई। जबकि सेटलमेन्ट विभाग को खातेदारी भूमि को सिवायचक करने का कोई अधिकार नहीं है। इस संबंध में प्रार्थीगण ने नामान्तरकरण , मिलान क्षेत्रफल व जमाबन्दी की छाया प्रति वास्ते सबूत पेश की है। अतः उक्त भूमि के रिकार्ड को दुरूस्त कर सिवायचक के बजाए प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.09.17 10:27:41 IST
Reason: SelfAttested

इस संबंध में तहसीलदार चौथ का बरवाडा को [illegible] तलब किया जाकर जवाब व मौके व रिकार्ड की स्थिति की रिपोर्ट पेश करने हेतु [illegible] किया गया है। इस संबंध में तहसीलदार ने अपने पत्रांक 1395 दिनांक 26.7.16 से मौके व रिकार्ड की स्थिति के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की है। मुताबिक रिपोर्ट के अनुसार ना0क0 संख्या

उप जिला कलेक्टर
चौथ का बरवाडा

131 निर्णय दिनांक 10.5.86 के अनुसार वाके ग्राम अभयपुरा के खसरा नम्बर 37/124 रकबा 5 बीघा 11 विस्वा की खातेदारी रूघनाथ पुत्र कालू गूजर निवासी अभयपुरा के नाम दर्ज है। ग्राम अभयपुरा के साबिक खसरा नम्बर 37 से नवीन खसरा नम्बर 21/0.65, 22/0.60, 23/0.13, 24/0.50, 35/0.20, 36/0.50, 37/0.16, 40/0.15, 41/0.16 बनाये गये है। जो सिवायचक व खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थीगण का मौके पर कब्जा खसरा नम्बर 21/0.65, 22/0.60, 23/0.13 कुल किता 3 कुल रकबा 1.38 है0 वाके ग्राम अभयपुरा पर है।

पत्रावली व राजस्व रिकार्ड व तहसीलदार चौथ का बरवाडा की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया है। मुताबिक नामान्तरकरण संख्या 131 निर्णय दिनांक 10.5.86 के अनुसार रूघनाथ गूर्जर निवासी अभयपुरा को खसरा नम्बर 37/124 में 5बीघा 11 विस्वा भूमि नियमन होने के उपरान्त खातेदारी का ना0क0 दर्ज हुआ है। उक्त नामान्तरकरण का अमल संवत् 2040–43 की जमाबन्दी हो गया था। परन्तु सेटलमेन्ट विभाग द्वारा संवत् 2040–43 की जमाबन्दी को अनदेखा कर खसरा नम्बर 37 से नवीन खसरा नम्बर 21/0.65, 22/0.60, 23/0.13, 24/0.50, 35/0.20, 36/0.50, 37/0.16, 40/0.15, 41/0.16 बनाकर उक्त भूमि को सिवायचक व खातेदारी में अंकन कर दिया । जिसके फलस्वरूप उक्त भूमि की किस्म सिवायचक के बजाय प्रार्थी की खातेदारी का अंकन किया जाना न्यायोचित समझते है।

<u>कियात्मक आदेश</u>

उक्त विवेचना के आधार पर उक्त खसरा नम्बर 21 रकबा 0.65 है0, 22 रकबा 0.60 है., 23 रकबा 0.13 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.38 है0 भूमि की किस्म सिवायचक लगानी के स्थान पर रामकरण , फूलचन्द, बद्री पिसरान रूघनाथ गूर्जर निवासी अभयपुरा के नाम खातेदारी का अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार तहसीलदार को दुरूस्ती हेतु तहरीर जारी हो। निर्णय आज दिनांक 22.6.17 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार कर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.09.17 10:27:41 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
चौथ का बरवाडा

उप जिला कलेक्टर
चौथ का बरवाड़ा